जनसत्ता

उम्मीदें और चुनौतियां

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से लगभग मुक्त कर दिए जाने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में भविष्य का जो खाका पेश किया और विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं का जिक्र किया, वे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य अब उज्ज्वल है। प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात का भरोसा साफ झलकता है कि कश्मीरियों के साथ भेदभाव के दिन अब लद चुके हैं और उन्हें अब उन सारे कष्टों और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी जो दशकों से अनुच्छेद 370 के कारण उन्हें झेलने पड़े हैं। जाहिर है, केंद्र सरकार का सारा जोर अब कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बनाने और उसके विकास पर होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है स्थानीय लोगों के दिल को जीतना। और कश्मीरियों का दिल तभी जीता जा सकेगा जब सरकार की नीतियों के प्रति उनमें भरोसा पैदा होगा, वे राज्य में विकास होता देखेंगे, नौजवानों को रोजगार और बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। अगर केंद्र सरकार कश्मीरियों के लिए इन कसौटियों पर खरी उतरती है तो निश्चित रूप से लोगों का दिल जीत पाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना एक कठिन और जोखिमभरा फैसला था। आज कश्मीर जिस हालत में पहुंच चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण ही अनुच्छेद 370 रही जिसकी आड़ में स्थानीय राजनीतिक दल भोली-भाली जनता को छलते रहे और अपने नीहित स्वार्थ पूरे करते रहे। अनुच्छेद 370 की वजह से घाटी में अलगाववादी नेताओं की बड़ी जमात पनपती चली गई और पिछले कुछ सालों में पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने में अलगाववादी तत्त्वों का बड़ा हाथ रहा। सब जानते हैं कि अलगाववादी नेता पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं और उससे उन्हें हर तरह की मदद मिलती है। इस समस्या से निपट पाने में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बड़ी बाधा बना हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य में विकास का कोई भी काम कैसे शुरू कर सकती थी? कैसे वहां उद्योग लगाए जाते? हैरानी यह भी है कि देशभर में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इससे वंचित थे। केंद्र सरकार राज्य के लोगों के लिए जितना भी पैसा देती, उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता और लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला। अनुच्छेद 370 की वजह से ही राज्य कुछ दलों और लोगों की जागीर बन गया था।

जम्मू-कश्मीर अब पुराने दौर से निकल चुका है। जो नया दौर है वह उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों के साथ बड़ी चुनौतियां भी लिए हुए है। चुनौतियां केंद्र सरकार के लिए ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने जो एलान किए हैं उनमें विकास और रोजगार पर जोर है, ताकि नौजवानों को भटकने से बचाया जा सके। इसके लिए राज्य में निवेश हो और उद्योग लगें, ताकि युवाओं को काम-धंधा मिले। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही है। साथ ही फिल्म उद्योग से भी उन्होंने कहा है कि वह कश्मीर को भी केंद्र बनाए जिससे वहां रोजगार के मौके बनें। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को भी अब देश के अन्य राज्यों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जम्मू-कश्मीर को पटरी पर लाने के लिए सरकार को हर मोर्चे पर जूझना होगा। आतंकवादियों और अलगाववादियों की कमर तोड़नी होगी, राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाना होगा और सबसे जरूरी यह कि बल प्रयोग की नीति को छोड़ कर आमजन के दिल को जीतना होगा। प्रधानमंत्री ने इसका विश्वास दिलाया है।

सड़क पर हिंसा

सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने से हुए हादसों से इतर मामूली बात पर हिंसा के रूप में एक समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है, जिसमें आए दिन किसी के साथ मारपीट या फिर हत्या तक कर देने के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार रात देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अध्यक्ष के साथ जिस तरह की घटना हुई, उससे साफ है कि सड़क पर वाहन चलाते हुए कोई व्यक्ति नाहक ही जानलेवा हिंसा का शिकार हो सकता है। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके से जब वे गुजर रहे थे, तब अचानक ही एक कार उनकी कार के आगे खड़ी हो गई, उसमें से चार लोग निकले और बिना किसी बात के उन्हें डंडों और लोहे की छड़ से पीटने लगे। गनीमत बस यही रही कि इलाके में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने उन्हें बचाया। लेकिन कल्पना की जा सकती है कि अगर किन्हीं वजहों से गश्त कर रहे पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचते तो सेल अध्यक्ष के साथ क्या हो सकता था!

हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें बिना किसी बात के सड़क पर मारपीट की गई हो। हो सकता है कि यह कोई सुनियोजित आपराधिक घटना भी हो। यह जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं जिनमें बहुत छोटी चूक से वाहन अगर किसी अन्य गाड़ी में छू जाए या वाजिब कारणों से भी रास्ता बाधित हो जाए तो लोग थोड़ा धीरज नहीं रखते और एक दूसरे के साथ बेहद तल्ख भाषा में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान कई बार दोनों या फिर एक पक्ष हिंसक हो जाता है और किसी की जान भी चली जाती है। सवाल है कि सड़क पर जिस तरह की गलतियां अनदेखी करने लायक होती हैं या फिर थोड़ी बातचीत से उससे उपजी समस्या को दूर किया जा सकता है, उस पर आपसी बहस का स्तर इस हद तक कैसे चला जाता है जिसमें किसी की जान भी चली जाती है! ऐसा लगता है कि लोगों के भीतर धीरज और सहिष्णुता का पैमाना इतना कम हो गया है कि वे मामूली बात पर भी गाली-गलौज या हिंसा पर उतर जाते हैं। बिना बात के गुस्सा होने के बाद उन्हें इसका भी होश नहीं रहता कि इसकी जद में आकर हिंसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

हालांकि फिलहाल सड़क पर हिंसा के मामलों में जितनी और जिस प्रकृति की सजा है, उसकी वजह से खुद पर लगाम खोने वाले लोग शायद निश्चिंत रहते हैं। इसके अलावा, शहरी जीवन को रफ्तार के साथ जीने वाले लोग इसमें किसी तरह का खलल नहीं चाहते और सड़क पर मामूली बाधा से उनका धीरज छूट जाता है। यह एक तरह से खुद को श्रेष्ठ मानने की कुंठा से भी जुड़ा होता है जो थोड़ा-सा मौका पाते ही बेलगाम होकर फूट जाता है। नतीजतन, कई बार किसी को बुरी तरह हिंसा का शिकार होना पड़ता है तो किसी की जान भी चली जाती है। इसी के मद्देनजर हाल के दिनों में यह मांग तेजी से उठी है कि वाहन चलाते हुए अपने बर्ताव पर लगाम खोने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि सड़क पर हिंसा की मानसिकता वाले लोगों को ठोस सबक मिल सके। सड़क पर सुविधाजनक और सहज तरीके से वाहन चलाना किसी का अधिकार हो सकता है, लेकिन अगर इसमें यातायात नियमों के साथ-साथ जरूरी सलीका नहीं है तो इससे हिंसा करने वाले के सभ्य होने पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं!

कल्पमेधा

अगर तुम्हारा स्वभाव ही है तो चिंता करके
कष्टों का आह्वान करो, लेकिन उसे
पड़ोसियों को उधार मत दो।
– रुडयार्ड किपलिंग

गरिमा बढ़ी और विश्वास भी

प्रभात झा

अब हर पार्टी के सांसदों-नेताओं को दोनों सदनों में सावधान रहना पड़ेगा। सत्तर साल देश की जनतांत्रिक राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण 2019 का आम चुनाव रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ी। जनता समझती है कि देश कहां सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है, किसे चुनना चाहिए।

पिछले दो दशकों से संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सत्रों की अवधि चर्चा का विषय बनी रही है। एक चलन-सा बन गया था कि सत्र ही कम दिनों का बुलाया जाए जिससे हो-हल्ला न हो और हो भी तो कम समय में विधायिका या संसदीय कार्य तत्काल पूरा कर लिया जाए। आम नागरिकों में भी इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि लोकतंत्र के इन मंदिरों में लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा, जब यहां पक्ष-विपक्ष दोनों के बीच देश और राज्यों के प्रमुख विषयों पर खुले मन से राष्ट्र या राज्य हित में चर्चा हो।

पिछले यानी सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्य हुए, वे देश के नागरिकों में विश्वास ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना को मजबूत करते हैं। वर्षों से लंबित बिलों का पारित होना यह दर्शाता है कि देश का मन-मस्तिष्क बदल रहा है। लोगों ने अब अपने अलावा देश के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सत्रहवीं लोकसभा और राज्यसभा के सैंतीस दिनों की कुल बैठकों में बत्तीस विधेयक लोकसभा और सैंतीस बिल राज्यसभा में पारित हुए। 17 जून 2019 से 6 अगस्त 2019 तक चली लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पहली बार एक हजार से अधिक मुद्दे उठाए गए। सन 1952 के बाद यह पहला मौका है जब सैंतीस बैठकों के बावजूद एक दिन भी कार्यवाही बाधित नहीं रही। और 1952 के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ है जब सदन का व्यवधान शून्य रहा और इसमें सदन के सदस्यों की अहम भूमिका रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तेरह घंटे से अधिक चर्चा हुई और एक सौ तिरासी तारांकित प्रश्न पूछे गए। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि ज्यादा से ज्यादा नए सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। इस सत्र में शून्यकाल में दो सौ पैंसठ नए सदस्यों में से दो सौ उनतीस सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिला। छियालीस नई महिला सांसदों में बयालीस को शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर मिला। लोकसभा में लगभग एक सौ सैंतीस प्रतिशत काम हुआ, जबकि राज्यसभा में एक सौ तीन प्रतिशत। राज्यसभा की सत्ताईस बैठकों में बत्तीस विधेयक पारित हुए। पिछले सत्रह साल में उच्च सदन में यह सबसे सफल सत्र रहा।

देश आश्चर्यचकित था जब राज्यसभा में तीन-तलाक बिल पारित हुआ। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लोकसभा में तो भाजपा और एनडीए की संख्या दो-तिहाई से अधिक है। वहां पर विधेयकों का पास होना लगभग तय ही होता है। पर राज्यसभा जहां भाजपा या एनडीए के पास अभी बहुमत नहीं है, से भी तीन तलाक बिल के पास हो जाने से सभी हैरत में रह गए। कांग्रेसी सदस्य मान कर चल रहे थे कि लोक सभा में इनकी संख्या बल है पर राज्यसभा में तो विधेयक पास नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधामंत्री और गृहमंत्री की कुशल रणनीति से जब राज्यसभा में भी विपक्ष चौरासी और सत्ता पक्ष सौ मतों से तीन तलाक विधेयक को मंजूरी मिल गई तो सभी को लगा कि अब राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष में कोई एकता नही है। तीन तलाक पर अच्छी बहस हुई। चर्चा के दौरान कुछ दलों ने बहिष्कार किया पर अधिकतर दलों ने मतदान किया।

राज्यसभा में कांग्रेस सहित विपक्ष की पोल तब खुली जब सूचना के अधिकार का बिल आया। इस बिल पर कांग्रेस ने विरोध जताया। उनका साथ कुछ विपक्षी दलों ने भी दिया। पर जब मत विभाजन हुआ तो राजग को एक सौ सत्रह और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों को पचहत्तर मत मिले। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा के हौसले बुलंद हो गए। भाजपा को यह विश्वास हो गया कि यदि अब कोई भी कठिन से कठिन विधेयक यदि देश हित में लाया जाएगा तो भाजपा मत विभाजन में जीत सकती है। यही कारण था कि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में लाने का निर्णय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लिया। देश में किसी ने नहीं सोचा था कि धारा 370 और 35ए को समाप्त करने वाला विधेयक लाया जाएगा। राज्यसभा में पांच अगस्त को जैसे ही गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में दस फीसद आरक्षण और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया, सता पक्ष की बांछे खिल गई और विपक्ष में सन्नाटा छा गया था। सदन हतप्रभ था। कांग्रेसी और टीएमसी सहित डीएमके और सपा ने विरोध के स्वर उठाए। राज्यसभा में सभी सदस्यों के द्वारा उठाए गए एक-एक सवाल का जवाब गृहमंत्री ने दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री भी सदन में आ गए। विपक्षियों ने मत विभाजन मांगा। मत विभाजन में कांग्रेस सहित विपक्षियों को मात्र इकसठ

और भाजपा को एक सौ पच्चीस मत मिले।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से संबंधित चार विधेयक- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक-2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक-2019, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक-2019 और दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक-2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। विशेष रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन तथा आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

देश में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी कुछ विधेयकों को इस सत्र में पारित किया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पोर्नोग्राफी में बच्चे के चित्रण को अपराध घोषित करने के अलावा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान करता है जो बीस साल तक या कुछ मामलों में शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने के लिए इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक-2019, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019 और मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2019 पारित किए गए। इसके साथ ही वेतन अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को आपस में मिला कर वेतन संहिता विधेयक, 2019 को कानून का रूप दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 पहले के कानून को रद्द करके और उपभोक्ता अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रावधान करता है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 का उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, नागरिकों को सहूलियत देना, सार्वजनिक परिवहन, स्वचालन एवं कंप्यूटरीकरण को सुदृढ़ करना, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाना है।

पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान राज्यसभा और लोकसभा चैनल को लेकर जनता की रुचि बढ़ी है। इन दोनों चैनलों के माध्यम से देश के नेताओं, सांसदों का आकलन शुरू हुआ है। इसीलिए अब हर पार्टी के सांसदों-नेताओं को दोनों सदनों में सावधान रहना पड़ेगा। सत्तर साल देश की जनतांत्रिक राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। उसका ताजा उदाहरण 2019 का आम चुनाव रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ी। जनता समझती है कि देश कहां सुरक्षित है, किसके हाथ में सुरक्षित है, किसे चुनना चाहिए। जनतंत्र की परीक्षा में जनता अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई। अब देश के जनप्रतिनिधियों को भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते रहना चाहिए। अब देश में जहां दोनों सदनों पर पुनः देश का अटूट विश्वास जागेगा, वहीं राज्य विधानसभाओं को कामचलाऊ सत्रों के बजाय उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिक दिनों का सत्र चलाना ही होगा। लोकतंत्र संवाद और बहस से मजबूत होता है न कि इससे भागने से।

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)

निज भाषा

शोभा जैन

गांधीजी ने कुछ स्वप्न देखे थे, जिनमें से एक था- ऐसे स्वराज की स्थापना हो, जो भाषा, जाति और धर्म की संकीर्ण भावना से परे आदर्श समाज के निर्माण का हो। लेकिन आज की जो हालत हम अपने चारों ओर देखते हैं, उससे यही लगता है कि हम इस स्वप्न को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इन दिनों आक्रामक भाषा चलन में है। इसे चलन कहा जाए या सभ्यता का ह्रास- सोचती हूं कि आखिर क्या कहा जाए इसे? समय और युगीन संदर्भों में बदलाव के साथ लोकतंत्र में भी भाषा के जायके बदल रहे हैं।

माना जाता है कि मनुष्य भाषा में जीता है। हम जिस समय में जी रहे हैं, वह विश्व बाजारवाद का दौर है। हम आधुनिकता के अंत और उत्तर आधुनिकता की ओर अग्रसर एक ऐसे काल में हैं, जिसमें समय मनुष्य का न होकर मशीन का है... उपकरण का है और नई-नई अवधारणाओं का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था को स्वीकार किया, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश की कानून और व्यवस्था का संचालन करें।

जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसमें जनता की भाषा की प्रधानता होना भी स्वाभाविक है। मगर हम इसके ठीक उलट स्थिति में जी रहे हैं। अंग्रेजी ने जिस प्रकार हमारी अपनी भाषाओं का विकास अवरुद्ध किया है, इससे स्वभाषा से लोगों की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। बाजार की सुविधा के लिए गढ़े जाने वाले शब्द जन्म ले रहे हैं। हम टेलीविजन पर उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापनों में इस विरूपीकरण को देख सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी से निर्मित अशुद्ध भाषा से संपन्न परिवारों की जीवन-शैली और मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है।

दुनिया मेरे आगे

इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजी बहुत ही समृद्ध भाषा है और आजकल संसार के कई समृद्ध देशों में राजभाषा के रूप में भी स्वीकृत है। मगर है यह विदेशी भाषा ही और हमें इस सत्य को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं कि वर्चस्व की इसकी तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी इसमें समूची जनता का एक नगण्य अंश ही कुशलता प्राप्त कर सका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में भाषाओं की प्रगति में काफी तेजी आई है, लेकिन स्वभाषा का प्रयोग अपनी सुविधानुसार तोड़-मरोड़ कर किया जा रहा है। माल बेचने और गांव-कस्बों में नए बाजार बनाने के लिए हिंदी का जिस सुविधा के साथ प्रयोग हो रहा है, वह एक तदर्थ और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए है। किसी व्यापार आदर्श, राष्ट्र निर्माण या मूलगामी परिवर्तन के लिए नहीं। कारोबार में भी किसी उच्च प्रशासनिक बैठक की बातचीत हिंदी में नहीं होती। विज्ञापन एजेंसियों में सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में बनते हैं और बाद में जैसे-तैसे उनका कामचलाऊ हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद के बाद किसी वाक्यांश का भाव बेहद सतही या कई बार हास्यास्पद हो जाता है। भाषा की यह दुर्दशा केवल बाजार में नहीं, राजनीति में भी है। जबकि लोकतंत्र में शपथ की भाषा अनुशासन है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाषा की समृद्धि उत्तम साहित्य से होती है और उसकी समृद्धि से उसके बोलने वालों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। अपनी समृद्ध संस्कृति को उजागर करने के लिए देशी भाषाओं को सगर्व प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष की राजनीति करने वालों को सोचना होगा कि लोकतंत्र की मर्यादा और भाषा की रक्षा कैसे की जाए। समाज और संस्कृति से भाषा की हालत का गहरा संबंध है।

हम किसी भाषा को किस दृष्टि से देखते हैं और उसका कैसा उपयोग करना चाहते हैं, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी सांस्कृतिक सोच क्या है, समाज के बारे में हमारी दृष्टि और भूमिका क्या है। विदेशी भाषा में शिक्षा पाने से हमारा स्वतंत्र चिंतन कुंठित हो गया है। यह बात प्रत्यक्ष रूप से भले न स्वीकार की जाए, मगर सत्य यही है। आशा यही की जाती है कि हमारी लोकभाषाएं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हो सके। हमारा उत्तम साहित्य इस इसी दिशा में विकसित हो, क्योंकि स्वराज की सार्थकता स्वभाषा की उन्नति से ही संभव है। इसके लिए लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा बनी रहे, यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण विषय है, जितना चुनाव में वोट डालना।

साहित्य में जो भाषा मनुष्य को संस्कारित करती है, वह राजनीति में भी अपना असर बनाए रखे। यह भी समाज के साथ कुशल राजनीतिकों के दायित्व का हिस्सा होना चाहिए। गांधीजी का जो आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न है, वह केवल स्वभाषा से ही संभव है, क्योंकि जिस प्रकार जड़ कटा वृक्ष पुष्प और फल नहीं दे सकता और शीघ्र ही अपनी हरियाली खोकर सूख जाता है, उसी प्रकर अपनी भाषा से कटा देश भी कमजोर हो जाता है। हमारी जड़ें हमारी भाषा हैं। इसके बिना देश की समृद्धि संभव नहीं। हमारे लिए भाषा से प्रेम की भी जरूरी अहमियत होनी चाहिए।

खतरे में अर्थव्यवस्था

देश की वित्तीय स्थिति नाजुक है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कारपोरेट जगत बेहाल हुआ जा रहा है। इस मंदी का असर कर संग्रहण पर भी पड़ रहा है। सरकार के राजस्व संग्रह लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी की दर बीस फीसद थी जो 2017-18 में घट कर 5.8 फीसद रह गई। इसका असर देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ रहा है। जीएसटी आर्थिक सुधारों के लिहाज से एक अच्छा कदम था, लेकिन जीएसटी के तहत अनुमानित कर संग्रह नहीं हो पा रहा है। जीएसटी संग्रहण में स्टाफ की कमी, राज्यों से सहयोग नहीं मिलना और केंद्र व राज्यों में तालमेल की कमी जैसे कारणों से अप्रत्यक्ष कर की वसूली बहुत कम हो रही है। इसका राजकोषीय संतुलन पर असर पड़ रहा है। सरकार राजकोषीय संतुलन साधने के लिए एक ओर विदेशी उधारी बढ़ा रही है और दूसरी ओर देश की जनता की बचत को उपयोग में ला रही है। इसके अलावा, निर्यात बढ़ाने लिए भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। सरकार ने इस साल के बजट में आयात शुल्क को बढ़ाया है। सिर्फ आयात को कम करके सरकार भुगतान संतुलन को सुधारना चाहती है।

● दीपक गिरकर, इंदौर

रफ्तार की उम्मीद

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने के लिए इस साल लगातार चौथी बार नीतिगत दरों में कटौती की। मौद्रिक नीति समिति का यह कदम स्वागत योग्य है क्योंकि इस कटौती के परिणामस्वरूप सस्ता ऋण उपलब्ध होगा, तरलता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और अंततः उत्पादन भी बढ़ेगा। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से अर्थव्यवस्था के हालात सुधरेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।

● कपिल एम. वड़ियार, पाली, राजस्थान

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बौखलाया पाक

जब से भारत ने जम्मू-कमीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, तभी से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जोर-शोर से विरोध कर रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ अभियान में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द होने का दावा करने वाले चीन ने भी इस मसले पर इतना जोर नहीं दिया जितनी पाकिस्तान को उमीद थी। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो पूरी तरह पाकिस्तान की अनदेखी की। हां, इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी ने भारत के रुख का विरोध जरूर किया है, पर ये भी ज्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि एक और ओआइसी के कुछ सदस्य संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश निजी स्तर पर भारत के पक्ष में हैं। कुल मिला कर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया है। इसी बौखलाहट में उसने भारत से राजनयिक और आर्थिक संबंध तोड़ने जैसे कदम उठाए हैं। उसने ये फैसले अतार्किक और आवेश में आकर उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत र पाकिस्तान के बीच ऐसे तनाव भरे मौके आए हैं, तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले हैं। इसीलिए भारत को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है।

● सचिन अडगांवकर, अकोला, महाराष्ट्र

जुर्माना और अनुशासन

नए वाहन कानून में जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया है। इससे सरकार की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों में भय भी पैदा होगा और सड़क पर अनुशासन कायम करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी जरूरत नए मोटर वाहन कानून के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की है और इसके लिए निरंतर विज्ञापन होते रहने चाहिए, ताकि जनता भी सचेत रहे और गलतियां न करें। मगर दुख की बात है कि नए मोटर वाहन कानून में काले शीशों वाली कारों और वाहनों को छोड़ दिया है जो जुर्म के चलते-फिरते अड्डे साबित हो रहे हैं। वाहनों के साथ सड़कों पर अतिक्रमण और इनकी जानलेवा हालत पर संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और अतिक्रमणकर्ताओं पर भी जुर्माना जरूरी है क्योंकि भारी रोड टैक्स के बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। इस वाहन कानून पर सरकार को जनता और यातायात पुलिस से खुल कर राय लेनी चाहिए थी। देश में कानून तो बहुत हैं मगर उनके ठीक से पालन करवाने वाले बहुत ही कम हैं। इसके लिए सरकार को और अधिक नियुक्तियां करनी होंगी जिससे आय और अनुशासन के साथ रोजगार भी बढ़ सकता है।

● महेंद्र मान, अलीपुर

कैसे आएगी हरियाली

विश्व पर्यावरण दिवस पर सोशल मीडिया जैसे वॉट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए, यानी की बहुत मित्रों के पास से पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं वाले संदेश आए। बहुत सारे मित्रों ने पेड़ लगाते हुए फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए और हजारों लाइक और कमेंट बटोरे। लेकिन पर्यावरण दिवस के अगले दिन न किसी ने पेड़ लगाते फोटो पोस्ट किया और न ही कहीं से शुभकामनाएं आईं। जाहिर है, अगले दिन ही सब पेड़ों को, पर्यावरण को भूल गए। इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया और सोशल मीडिया में पेड़ लगाते हुए फोटो खींच कर डालने और छपवाने से धरती पर हरियाली नही आने वाली। इसके लिए वाकई जुटने की जरूरत है।

● सौरभ कुमार ठाकुर, मुजफ्फरपुर